औद्योगिक विवादों के निस्तारण के लिए बनेंगे ई कोर्ट

ई कोर्ट प्लेटफार्म प्रत्येक केस को देगा एक यूनिक नंबर, ट्रैकिंग की व्यवस्था भी होगी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और औद्योगिक विवादों के निस्तारण के लिए ई कोर्ट बनेंगे। औद्योगिक न्यायाधिकरण में ई कोर्ट प्लेटफार्म से औद्योगिक विवादों का डिजिटल समाधान किया जाएगा। इसके निर्माण व विकास का जिम्मा श्रीट्रॉन इंडिया लि. को सौंपा गया है। सिस्टम स्वतः प्रत्येक केस को एक यूनिक नंबर देगा।

ई कोर्ट प्लेटफॉर्म सभी मामलों के प्रबंधन की सुविधा देगा। इसमें स्वीकृति से लेकर समाधान तक ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी।

निर्माण व विकास का जिम्मा श्रीट्रॉन इंडिया लि. को सौंपा गया

न्यायालय के कर्मचारियों के लिए मामलों की समीक्षा और सत्यापन की सुविधा होगी। विवादों को उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

इस प्लेटफार्म में सुनवाई के लिए तारीख और समय निर्धारित करने के लिए एक शिड्यूलिंग सिस्टम होगा, जो न्यायालय के संसाधनों और पक्षकारों के शिड्यूल की उपलब्धता को समायोजित करेगा।

यह प्लेटफार्म इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं और भौतिक डाक सहित विभिन्न डिलीवरी विधियों से लैस होगा। इससे काफी सहूलियत मिलेगी। ये जारी किए गए दस्तावेजों की स्थिति को ट्रैक करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्राप्त हुए हैं और स्वीकार किए गए हैं।

संवेदनशील जानकारियां रहेंगी सुरक्षित

- ई कोर्ट प्लेटफार्म व इंटरफेस को संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने में सक्षम बनाया जाएगा। वह सभी कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- सिस्टम हेल्पडेस्क के माध्यम से मदद देगा। प्लेटफार्म पर नेविगेट करने में उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए ट्यूटोरियल सहित प्रशिक्षण सामग्री देगा।
- प्लेटफार्म को कार्यात्मक और उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव व अपडेट किए जाएंगे। इससे औद्योगिक विवादों का प्रभावी व कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा।
- यह चार फेज में विवाद निस्तारण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम होगा। कोर्ट ऑर्डर व नोटिस को जारी करने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों पर प्राथमिकता से कार्य करेगा।